

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/

958

दिनांक

25/04/2022

प्रार्थी :-

1. वीरमाराम पुत्र लक्ष्मणराम,
जाति जाट, निवासी आईदान की ढाणी
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

विप्रार्थीगण:-

- 1.गेनाराम 2.चेलाराम 3.बाबू पि.भारूराम
- 4.अमराराम 5.भूराराम 6.उम्मेदाराम 7.मोहन
पि.जेठाराम 8.जोगाराम पुत्र मघाराम
- 9.मूलाराम 10.पदमाराम 11.ठाकराराम पि.
कोशलाराम 12.लाभूराम पुत्र डूंगराराम
- 13.पोकरराम पुत्र सुरताराम 14.लिखमाराम
- 15.खेमराम पि. दानाराम 16. निम्बाराम
- 17.किशनलाल पि. मगनाराम 18.जैसाराम
पुत्र शम्भूराम, जाति जाट, निवासी आईदान
की ढाणी (धारासर), तहसील चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम

वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 58/2021

दिनांक : 22.04.2022

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र धारासर के मौजा आईदान की ढाणी के खेत खसरा सं. 524 रकबा 146.06 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2022/

959 to 962

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी वीरमाराम
3. विप्रार्थीगण गेनाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना

(भागीरथ राम II)

उपखण्ड अधिकारी

चौहटन

दिनांक

25/04/2022



उपखण्ड अधिकारी

चौहटन

उपखण्ड अधिकारी

चौहटन